

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान-उरई।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

विषय:- मेसर्स टीएन ऊर्जा प्रा० लि० द्वारा जनपद जालौन में 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि
क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-296/8-डी०एल०आर०सी०, दिनांक 14.07.2016 एवं पत्र संख्या-446/8-डी०एल०आर०सी०, दिनांक 24.08.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सौर ऊर्जा केन्द्र के निर्माण हेतु ग्राम उकासा तहसील कालपी जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 89 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके विहित सीमा 5.0586 हेक्टेअर से अधिक 94.9414 हेक्टेअर भूमि के क्रय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) सौर ऊर्जा केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का संक्रमण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा।
- (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 तथा 99 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
- (3) भूमि का उपयोग केवल सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना हेतु किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए अनुमति दी जा रही है। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।
- (5) भूमि का क्रय अधिकृत संस्था के नाम किया जायेगा।
- (6) सोलर पावर प्लान्ट हेतु ले-आउट प्लान के अनुसार ही भूमि अनुमन्य होगी।
- (7) उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।

(8) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि

-2-

-2-

का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

- (9) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।
- (10) विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति केवल 05 वर्ष के लिए अनुमन्य होगी।
- (11) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण एवं विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (12) जिलाधिकारी, जालौन द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से राजस्व विभाग तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1154(1)/एक-1-2016-1(23)/2016 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स टीएन ऊर्जा प्राइवेट लि0, 513/अ, पांचवीं मंजिल कोहिनूर सिटी किरोल रोड, कार्यालय 0 एल0बी0एस0 रोड कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

विशेष सचिव।

shashnadesh.up.nic.in